न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 97/2005 दायर दिनॉक 27.07.2005

वादीगण

1. दयानन्द पुत्र स्व0 हरकरण (फौत)
1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 दयानन्द
1/2 लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/3 राजुदेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/4 मैना कुमारी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/5 कान्तादेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/6 कुन्नीदेवी पत्नि स्व0 दयानन्द
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण
छोटी खाटू तहसील डीडवाना।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हेमाराम
2. नागरमल
3. सम्पतराज समस्त पुत्रगण
स्व0 ईट्ठलप्रसाद
4. कीरण बैवा स्व0 पूनमचन्द
5. मनोज पुत्र स्व0 पूनमचन्द
6. पंकज पुत्र स्व0 पूनमचन्द
7. सुशीला पुत्री स्व0 पूनमचन्द
8. बिरजू पुत्री स्व0 पूनमचन्द
समस्त जाति ब्राहम्ण
9. हेमाराम पुत्र डावाराम जाति
माली
10. रतनलाल पुत्र चुन्नीलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र भैरूबक्ष
समस्त जाति ब्राहम्ण
12. नानूड़ी बैवा स्व0 भूराराम
जाति जाट समस्त
निवासीगण छोटी खाटू
तहसील डीडवाना नागौर
13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी।
2. श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रति0 सं0 1 व 9।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 08.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा वाकै सरहद छोटी खाटू है। इन खसरा नम्बरान में से खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा के 1/4 भाग की भूमि वादी की पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि रही है। खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा वाकै छोटी खा[illegible] की भूमि प्रतिवादीगण सं0 10 व 11 की कब्जाकाश्त व खातेदारी की [illegible] भाग की भूमि प्रतिवादीनी सं0 12 के कब्ज[illegible] खातेदारी की भूमि रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि वक्त रि सैटलमेन्ट के जबकि वादी के पिता का स्वर्गवास हुआ, तव वादी कमाने खाने आसाम गया हुआ था और ईटठलप्रसाद जो कि वादी का बड़ा भाई भा और गोद गया हुआ था ने स्व0 हरकरण की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा सं0 781 व 1236 की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली, जिसकी जानकारी वादी को उस समय नही हुई जबकि स्व0 हरकरण की खातेदारी की भूमि में पूनमचन्द व ईठलप्रसाद का कोई हक ही नही था।

यह है कि ईटठ्लप्रसाद के स्वर्गवास होने के बाद में उक्त गलत खातेदारी के कारण उक्त खसरा सं0 की खातेदारी जरिये फौतगी नामान्तकरण के प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के व इनकी माता स्व0 भागैती के नाम से गलत दर्ज कर दी गई, और जव इसका वादी को ज्ञात हुआ तो इन खसरा नम्बरान की भूमि में जरिये शुद्धीपत्र के वादी व स्व0 पूनमचन्द का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कि छायाप्रति खतौनी सं0 2050 से 2053 से स्पष्ट है।

यह है कि इस प्रकार से वादी की पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 1236 रकबा 17 वीघा बीघा 19 विस्वा के 1/4 भाग की खातेदारी में बिना हक व अधिकार के स्व0 ईटठ्लप्रसाद व स्व0 पूनमचन्द के वारिसान का नाम दर्ज होने से वादी के जायज अधिकारो पर खतरा पैदा हो गया है, अतः वी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी यह है कि :–

कि वादी में उपरोक्त वर्णित खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा के 1/4 भाग वाकै सरहद खाटू खुर्द की खातेदारी अकेले वादी के नाम से घोषित की जाकर के प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का नाम हटाया जावें।

कि खेत खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा वाकै खाटू खर्दु की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 10 ता 12 के बीच बंट बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किया जाकर के वादी के 1/4 भाग की भूमि जो वादी के बंट में आती है की स्वतन्त्र खातेदारी दर्ज की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 8, 13 को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। व[illegible]दी सं0 9 हेमाराम का राजीनामा पेश हुआ, जिस[illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद छोटी खाटू के खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान निम्न प्रकार राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है।

1. सरहद छोटी खाटू खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाण से खरीद सुदा भूमि प्रतिवदी सं0 09 हेमाराम पुत्र डावाराम की खातेदारी घोषित की जाती है।
2. सरहद छोटी खाटू में अवस्थित खेत खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 19/9/22

नोट:- वाकै सरहद छोटी खाटू के ख0 नं0 1236 रकबा 17.19 बीघा में से 1/4 हिस्सा वादी ओमप्रकाश के नाम घोषित करते हुए प्रतिवादी सं0 01 से 08 का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **97/2005** — दायर दिनाँक **27.07.2005**

प्रार्थीगण

1. दयानन्द पुत्र स्व0 हरकरण (फौत)
1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 दयानन्द
1/2 लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/3 राजुदेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/4 मैना कुमारी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/5 कान्तादेवी पुत्री स्व0 दयानन्द
1/6 कुन्नीदेवी पत्नि स्व0 दयानन्द
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण छोटी खाटू तहसील डीडवाना।

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. हेमाराम
2. नागरमल
3. सम्पतराज समस्त पुत्रगण स्व0 ईट्ठलप्रसाद
4. कीरण बैवा स्व0 पूनमचन्द
5. मनोज पुत्र स्व0 पूनमचन्द
6. पंकज पुत्र स्व0 पूनमचन्द
7. सुशीला पुत्री स्व0 पूनमचन्द
8. बिरजू पुत्री स्व0 पूनमचन्द समस्त जाति ब्राहम्ण
9. हेमाराम पुत्र डावाराम जाति माली
10. रतनलाल पुत्र चुन्नीलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र भैरूबक्ष समस्त जाति ब्राहम्ण
12. नानूड़ी बैवा स्व0 भूराराम जाति जाट समस्त निवासीगण छोटी खाटू तहसील डीडवाना नागौर
13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **08.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी व श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रति0 सं0 1 व 9 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद छोटी खाटू के खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान निम्न प्रकार राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है।

1. सरहद छोटी खाटू खेत खसरा सं0 781 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाण से खरीद सुदा भूमि प्रतिवदी सं0 09 हेमाराम पुत्र डावाराम की खातेदारी घोषित की जाती है।
2. सरहद छोटी खाटू में अवस्थित खेत खसरा सं0 1236 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाब[illegible]...–....................

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह...–... आज [illegible] तारीख को अज तर्फ बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 19/9/22

नोट:- वादी सरहद छोटी खाटू के खसरा सं. 1236 रकबा 17.19 बीघा में से 1/4 हिस्सा वादी ओम प्रकाश के नाम घोषित करते हुए प्रतिवादी सं. 01 व 08 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner